

फर्द अहकाम

आमेप्रकाश बनाम

शशांक वर्ग 0

याचालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोधनेर

केस सं 379/2023

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.12.2022	<p>अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा वाद पत्र घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.01.2023 को पेश हो।</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>12/1/2023 पत्रावली पेश हुई। उपपक्षकारान् उपस्थित। जर्तीवादी सं. 1 व 2 गण अकालिवा जवान दावा पेश किया गया। जर्तीवादी न. 3 उग वाद पत्र के अनुबोध के अनुसार ग्राम खिजूपिया के नामान्ताण सं. 658 में हुई मधुदि के लीक्रीन किया गया है साथ ही वाद पत्र के अनुबोध के अनुसार ग्राम खिजूपिया के खतरा न. 253/21 का उद्घाटन व नोटिस नहीं होने से हुकूमत सिधे जाने की आशंका की गई है।</p> <p>नदम <i>[Handwritten signature]</i> उपपक्षकारान व परीकार अकार सुनी गई। पत्रावली का अनुबोध किया गया। नदम पर मनन किया गया। पत्रावली के आशोपान्त प्रबलीकन से यह स्पष्ट होता है कि जर्तीवादी गण वादी के जरिये जर्तीकृत विज्ञापन ग्राम खिजूपिया के खतरा न. 21 में सिमा कप किया गया का जवान नामान्ताण सं. 658 में सटवन से खतरा न. 21 के लख-आल खतरा न. 253/21 के रिस्ते के विज्ञाप का जर्तीवादी के पक्ष में नामान्ताण दर्ज हो गया है, जिसे हुकूमत सिधे जाना उचित है।</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> - लगातार -</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

12/1/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोधनेर, जयपुर

12-1-1983

गत: बात को वादीगण के पक्ष में
 प्रातिवादीगण सौ. 1 व 2 की सहायता
 के माध्यम पर प्रातिवादी सं. 1 व 2
 के बीच स्वीकार किया जाकर
 प्रातिवादी सं. 1 व 2 का नाम ग्राम
 विस्तारिका में प्रस्ताव नं. 253/2
 में दर्ज किया 115/328 इकाई
 किया जाने का आदेश दिया जाता
 है, सुदस्ता नं. 253/2 बरुवा
 1.8968 है. भूमि में वादीगण के
 पक्ष में 115/328 इकाई दर्ज किये
 जाने का आदेश दिया जाता है निर्णय
 युजे न्यायालय में सुनाया गया।
 पत्रावली फलल सुमार
 लेकर दायील दफ्तर से तथा
 पालगर्ण तहसीलदार, तहसील
 जोखनेर को तहरीर जारी हो।

383
 12/1/2023

उपखण्ड अधिकारी
जोखनेर, जयपुर